राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 133-134/भु0अ0/ज0स0/2016/ दिनांकः

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फार वाटर कन्सेप्ट के अंतर्गत करवाडा एमआईपी के निर्माण एवं डूब में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि सूची में वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को जिनका इससे संबंध है को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) आहोर, जिला जालोर को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण संलग्न सूची के अनुसार।

संलग्नः- सूची

आज्ञा से
(मुकेश कुमार गुप्ता)
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता जल संसाधन
राजस्थान जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड जालोर

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् धारा-11 व 12 के प्रस्ताव

भूमि अर्जन अधिकारी उपखण्ड रानीवाडा जिला जालोर राजस्थान

लघु/सुक्ष्म सिंचाई परियोजना करवाडा एमआईपी का निर्माण कार्य के लिए धारा- 11 व 12 के तहत् प्रभावित होने वाले भूमिधारको की सूची

गांव- करवाडा ग्राम पंचायत करवाडा तहसील- रानीवाडा जिला - जालोर

क्रसं	भूमिधारक का नाम	खसरा न	किस्म भूमि	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)	विवि
1	2	3	4	5	6	7
A	**खातेदारी भूमि**					
1	1.खलुसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार 2.पप्पूसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार 3.मानसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार 4.शैतानसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा-1/4 जाति-राजपूत सा. देह खातेदार	568	बरानी सोयम	3.68	0.60	
2	भगवानाराम पुत्र कोजा हिस्सा पूर्ण जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	569	चाही प्रथम	2.29	0.36	
3	1.चिमाराम पुत्र धर्माराम हिस्सा-1/2 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार 2.भगवानाराम पुत्र कोजा हिस्सा 1/2 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	1703/569	जाव प्रथम	0.04	0.02	
	योग	**3**		**6.01**	**0.98**	
B	**सरकारी भूमि**					
1	राजस्थान सरकार	580	गैर मुमकिन नाला	3.78	1.90	
		719	गैर मुमकिन रास्ता	1.09	0.06	
		763	गैर मुमकिन श्मशान	1.42	0.04	
2	ग्राम पंचायत करवाडा	761	बरानी दोयम	12.55	4.56	
	योग	**4**		**18.84**	**6.56**	
	(खातेदारी + सरकारी) कुल योग	**7**		**24.85**	**7.54**	

सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, जालोर — अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, जालोर — अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत, जोधपुर

DIPR/C/169/2025

मरू उड़ान कार्यक्रम शुरू

जालोर, (कासं)। महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार एवं आत्मरक्षा के साथ ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' योजना के तहत जिले में राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कुल चार सत्रों में जिला स्तरीय संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलैक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बालिकाओं व महिलाओं को स्वयं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए अपने आसपास व घर-पड़ोस के परिवेश में जागरूकता फैलाने, वित्तीय साक्षरता अर्जित करने व आत्मनिर्भर बनने की बात कही। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राजोरा ने बालिकाओं से वार्ता कर उनके करियर के बारे में जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रमाशंकर भारती ने प्रतिभागियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया।

जेण्डर स्पेशलिस्टर द्रोपदी ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। आरएसएलडीसी के जिला समन्वयक राधेश्याम वैष्णव ने महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कौशल विकास के विभिन्न अवसरों और लाभों के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिदम्बरा परमार, महिला एवं बाल विकास के रामजीवन विश्नोई उपस्थित रहे।

बंदी सुधार गृह का निरीक्षण

जोधपुर, (कासं)। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर चन्द्र शेखर शर्मा एवं जिला कलक्टर गौरव अठावाल, तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर पुखराज गहलोत तथा केंद्रीय कारागृह जोधपुर के लिए बने जेल विजिटर बोर्ड के समस्त सदस्यों ने शुक्रवार को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर व महिला बंदी सुधार गृह, जोधपुर का निरीक्षण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर तथा जिला कलेक्टर तथा सचिव एवं जेल विजिटर बोर्ड के समस्त सदस्यगण द्वारा केन्द्रीय कारागृह महिला बंदी सुधार गृह में निरूद्ध कैदियों से व्यक्तिशः वार्तालाप किया। बंदियों द्वारा अवगत कराया कि सभी बंदीगण आपस में प्रेमपूर्वक एव सौहार्दपूर्वक साथ रहते हैं।

सम्मन बनाम मुदायलाह बिनावर कायमी तनकीहात
(ऑर्डर रूल 1 व 5 दीवानी)

अज अदालत ....श्रीमान सहायक जिलाधीश, सिरोही, जिला सिरोही

ब-इजलास श्रीमान हरी सिंह देवल (RAS)

मुदई - उच्छब कुंवर वगैरा....मुदायलाह - कैलाशदान वगैरा

दावा बाबत् ...88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा व प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्या : 05/2023

मुसम्मी :-

1. श्री कैलाशदान पुत्र चण्डीदानजी जाति चारण निवासी ऊड , तहसील सिरोही ।
2. श्री गणतसिंह पुत्र चण्डीदानजी जाति चारण निवासी ऊड , तहसील सिरोही ।

हरगाह कि वादीगण ने आपके खिलाफ एक दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण ने मौजा ऊड के खसरा संख्या 58 की आराजी मे से खरीद की गई 0.0960 हैक्टेयर भूमि का खातेदार कृषक वादीगण को घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के हक में जारी किया जावे । लिहाजा आपको ब-जरिये इस तहरीर के दावे की जवाबदेही के लिए तारीख 24 माह 01 सन 2025 को दिन 10.00 बजे अदालत हाजा में असालतन मार्फत ऐसे वकील के जो हालत मुकदमा से वाकिफ किया गया हो व कुल अमर अहम मुताबिक जवाब दे सके या जिसके साथ कोई ऐसा शख्स हो जो सवाल का जवाब दे सके, हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और आपको हिदायत दी जाती है कि जुमले दस्तावेज जिन पर आप जवाबदेही का ताईन में इस्तेमाल करना चाहता हो, उस दिन पेश करो । आगाह रहो कि अगर वकील मजकूर आप हाजिर न हुए तो दावा आपकी गैर हजारी में सुना व फैसला किया जायेग । बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 01 सन 2025 को जारी किया गया।

मोहर — रीडर, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी /सहायक कलेक्टर सिरोही

प्रयागराज के लिए दी विदाई

जोधपुर, (का.सं.)। पूर्व महारानी हेमलता राज्ये ने शुक्रवार को राईका बाग स्थित जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर में सैनाचार्य अचलानन्द गिरी महाराज का प्रयागराज महाकुंभ प्रस्थान करने पर उनका जोधपुर राज परिवार की ओर से माला पहनाकर व पुष्पों से अभिनंदन कर उन्हें विदाई दी।

उन्होंने सैनाचार्य को फल भेंट किया एवं उनके कुंभ प्रस्थान के लिए अभिनंदन करते हुए कहा कि सैनाचार्य का प्रयागराज महाकुंभ जाना मारवाड़ के लिए सौभाग्य की बात है ।

इस अवसर पर सैनाचार्य ने कहा कि जोधपुर के पूर्व राज परिवार को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है।

उन्होंने कहा कि राजदादीसा बदन कंवर जी व राजमाता कृष्णा कुमारी जी के समय भी कुंभ गया था। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से प्रयागराज में बड़ा कैंप लगाया जा रहा है।